



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, मंगलवार, 4 अक्टूबर, 2022

आश्विन 12, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 407 / 79-वि-1-2022-2-क-9-2022

लखनऊ, 4 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नलिखित इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2022) जिससे माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2022)

[भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :—

1—यह अध्यादेश इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 2 2—इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16 क की उपधारा (1) में शब्द “प्रत्येक संस्था के लिये” के स्थान पर शब्द ‘राज्य सरकार से सहायता प्राप्त प्रत्येक संस्था के लिये’ रख दिए जाएंगे।
सन् 1921 की धारा 16-क का संशोधन

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 407/LXXIX-V-1—2022-2-ka-9-2022

Dated Lucknow, October 4, 2022

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Intermediate Siksha (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesha, 2022 (Uttar Pradesh Adhyadesha Sankhya 9 of 2022) promulgated by the Governor. The Madhyamik Shiksha Anubhag-9 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE INTERMEDIATE EDUCATION (SECOND AMENDMENT)
ORDINANCE, 2022

(U.P. ORDINANCE NO. 9 OF 2022)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy third Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Intermediate Education Act, 1921.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title

1. This Ordinance may be called the Intermediate Education (Second Amendment) Ordinance, 2022.

2. In sub-section (1) of section 16-A of the Intermediate Education Act, 1921, for the words "for every institution", the words "for every State Government Aided Institution" shall be *substituted*.

Amendment of
section 16-A of
U.P. Act no. 2 of
1921

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०ए०स०य०पी०-००पी० 576 राजपत्र-2022-(936)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।
पी०ए०स०य०पी०-००पी० 70 सा० विधायी-2022-(937)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।